R.M.M. Law College Saharsa

Nareshji Anand
(Lecturer)

LLB Part-IInd

Paper-Ist Family Law (Muslim Law)

(VI) Maintenance (भरण पोषण)

भरण पोषण को अरबी में नफका भी कहा जाता है। भरण पोषण के अंतर्गत भोजन, वस्त्र एवं आवास आता है।

(मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण-पोषण के अंतर्गत मनुष्य तीन व्यक्तियों के प्रति जिम्मेवार होता है:-

(I) अपने वंशजों या पूर्वजों

(II) अपने नातेदारों एवं

(III) अपने पत्नियों।

(I) वंशजों के प्रति :-

अपनी सभी अवयस्क, संतानों, जरूरतमंदों तथा लड़कियों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पिता की होती है। वह अपने संतानों के कानूनी संरक्षक होता है। इसलिए माता-पिता में पिता ही अपने बालक-बालिकाओं के भरण पोषण का जिम्मेवार होता है। (मुस्लिम विधि के अनुसार पिता (पुत्र का भरण-पोषण के लिए तब तक जिम्मेदार होता है जब तक वह वयस्क न हो जाए) विधवा अथवा तलाकशुदा (पुत्री भी जो वयस्क होती है पिता से भरण पोषण

का हकदार होती है, बच्चो यदि माँ के संरक्षण में हो तो भी वह भरण-पोषण के हकदार है।

इस प्रकार पिता निम्नलिखित लोगो के निर्वाह के लिए जिम्मेवार होता है।

(i) अवयस्क बच्चों के
(ii) अविवाहित लड़कियाँ
(iii) विवाहित लड़कियाँ जो निर्धन है
(iv) वयस्क लड़का जो बकरत मंद शारीरिक/मानसिक हो
(v) तलाकशुदा स्त्री के बच्चे जो अवयस्क हैं उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी उसके पिता की होती है।

वयस्क सामर्थवान बच्चे अपने माँ बाप के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ नाना-नानी, दादा-दादी जिनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है जो अपना भरण पोषण के लिए असमर्थ हो उन बच्चों को अपने नाना-नानी दादा-दादी का भरण पोषण करने की जिम्मेवारी होती है।

(II) खानदानियों अर्थात दूर के रिश्तेदारों के भरण पोषण के प्रति जिम्मेदारी :-

कोई भी मुसलमान निम्न दूर के रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए जिम्मेवार होता है।

(i) सामर्थवान व्यक्ति जिसका रिश्तेदार भरण पोषण करने वाला कोई न हो या लाचार है।

(b) यह दायित्व Prohibited degree के अंतर्गत आता है।

(c) यह दायित्व उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उस व्यक्ति के मरने के उपरांत उसकी संपत्ति में अधिकार हो।

(iii) पत्नी

प्रत्येक मुस्लिम को अपनी पत्नी का भरण पोषण करने की दायित्व होती है। अर्थात पति के साधन हीन होने पर एवं पत्नी का साधन सम्पन्न होने के बावजूद पत्नी को पति से भरण-पोषण का हक होता है।

पति द्वारा पत्नी का भरण पोषण करने से इंकार करने या उपेक्षा करने पर पत्नी न्यायालय की शरण ले सकती है।

Muslim Law or Cr.P.C. 1973